न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
30.01.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर पत्रावली दिनांक 22.02.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
22.02.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक /भू.अ./24/363 दिनांक 15.02.2024 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2024.03.27 18:06:27 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर तारीख	निर्णय दिनांक
213/2023	2023/402	29.12.2023	22.02.2024(अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. संतोष देवी पत्नी रामजीलाल आयु 40 वर्ष
2. नीतू पुत्री नन्दलाल आयु 20 वर्ष
3. पपीता पुत्री नन्दलाल आयु 24 वर्ष
4. मनीषा पुत्री नन्दलाल आयु 21 वर्ष
5. सुनीता पुत्री नन्दलाल आयु 26 वर्ष
6. सुनील कुमार पुत्र नन्दलाल आयु 22 वर्ष

समस्त जाति स्वामी निवासीगण ग्राम अविनाशी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना (राज0)

----वादीगण

बनाम्

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

1. कृष्णा पुत्री जगदीशदास आयु 22 वर्ष
2. खामोशी पुत्री जगदीशदास आयु 25 वर्ष
3. धोली पुत्री जगदीशदास आयु 24 वर्ष

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
(नीमकाथाना)

4. संती देवी पुत्री जगदीशदास आयु 40 वर्ष

5. सुभाष पुत्र जगदीशदास आयु 22 वर्ष

6. गोठी देवी पत्नी जंगलदास आयु 60 वर्ष

समस्त जाति स्वामी निवासीगण ग्राम अविनाशी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना (राज0)

7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

----प्रतिवादीगण

:-उपस्थिति :-

श्री कमल कुमार शर्मा एड. (वादीगण),

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर (प्रतिवादी नम्बर 7)

दावा बाबत् बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा,

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि यह कि कृषि भूमि खसरा नम्ब[illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.70 हैक्ट[illegible] रकबा 3.29 हैक्टर तन् ग्राम अविनाशी पटवार हल्का सावलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन नीमकाथाना (राज0) में अवस्थित है। जिसके 1/4 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

22/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

की खातेदारी वादी संख्या 1 के नाम व 1/20-1/20 हिस्से की खातेदारी प्रत्येक वादीगण नम्बर 2 ता 6 के नाम कुल 1/4 इस प्रकार सम्पूर्ण भूमियों में वादीगण 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 की सहखातेदारी की भूमियां हैं। जिनका कोई कानूनी रूप से विभाजन नही हुआ हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि उक्त भूमि के पूर्वी तरफ सटाकर रोड़ सांवलपुरा से टोडा जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित हैं। वादीगण अपनी खातेदारीशुदा भूमि का अलग विभाजन करवाकर अपने नाम अलग खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं। वर्तमान समय में भूमियो मे वाद विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती हैं एंव संयुक्त खातेदारी की आड़ मे आये दिन वाद विवाद व झगड़े आदि होने की प्रबल आशंका रहती हैं इसी कारण संयुक्त खातेदारी की भूमियों का विधिक रूप से विभाजन होकर अलग अलग खातेदारी दर्ज कराने की आवश्यकता होने से वादीगण द्वारा यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। संयुक्त खातेदारी की भूमियों का बिना विधिक विभाजन कराये यदि भूमियों का अन्तरण, रहन व अन्य तरीके से भूमियों को खुर्द-बुर्द नही किया जावे इस बाबत् वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने की विधिक अधिकारी हैं। वादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण का भूमियों का विधिक विभाजन कराने बाबत् पूर्व मे कहा तो वह हां करते रहे व टालते रहे परन्तु अर्सा 10 दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण को इस बाबत् कहा तो आनाकानी करते हुये इंकार कर दिया इस कारण मजबूर होकर यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने अनुतोष चाहा है कि बंटवारा की डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 2.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.70 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.29 हैक्टर तन् ग्राम अविनाशी पटवार हल्का सावलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन नीमकाथाना (राज0) में वादीगण के हक हिस्से अनुसार अलग से बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर संतुलित रूप से खातेदारी दर्ज की जाकर अलग से बटा नम्बर डाला जाकर नक्शे मे तरमीम करायी जाकर लगान भी अलग-अलग कायम कराया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जावे एंव प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 की साधारण तरीके से तामील होने के बावजूद कोई हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के खिलाफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी थी। वकील वादीगण ने प्रकरण बंटवारे से सम्बन्धित होने से प्रकरण में पक्षकारान के विधिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारंभिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन कियां। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा क्रंमाक 201 दिनांक 01.02.2024 को तहरीर जारी की गयी थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांकित 08.01.2024 जारी की जाकर विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक :राम/ न्याया/स्था/प-51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 201/रीडर/2024/दिनांक 01.2.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगो में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गयी थी। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक भू.अ./24/363 दिनांक 15.2.2024 के द्वारा प्राप्त हुये जो शामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

22/03/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पत्रावली किये गये।

प्रकरण मे विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होते हुये वकील वादीयागण द्वारा अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देश दिनांक 5.10.2020 में वर्णित राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु जरिये पत्रांक 201/भू.अ./2024 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा दिनांक 15.02.2024 के द्वारा 2 पी.एम आराजीयात वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 164, 165 तन् ग्राम अविनाशी का मौका निरिक्षण करते हुये बहमराह पटवारी व भू अभिलेख निरिक्षक के साथ मौका देखा जाकर मौतविरान की उपस्थिति में मौका निरिक्षण अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मौका देखकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादीगण स्वंय असालतन या वकालतन उपस्थित होकर चाराजोही कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

22/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रतिवादीगण द्वारा किये गये मौका निरिक्षण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से वादीयागण व प्रतिवादीगण को उनके हिस्से अनुसार जमीने दिया जाना प्रकट होता है।

वकील वादीयागण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत बंट्वारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया वादीयागण का वादपत्र स्वीकार करते हुये वादपत्र मे अंतिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

:- क्रियात्मक आदेश :-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीयागण का वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है इस प्रकार वादीयागण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत मौकजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 15.02.2[illegible] में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

21/02/24
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार [illegible] विभाजन प्रस्ताव

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र. सं.	काश्तकारो के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा नं.	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रु में)
	1.संतोष देवी पत्नी रामजीलाल हिस्सा 1/2 जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा 2. नीतू पुत्री नन्दलाल हिस्सा 1/10 जाति जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा 3. पपीता पुत्री नन्दलाल हिस्सा 1/10 जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा 4. मनीषा पुत्री नन्दलाल हिस्सा 1/10 जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा 5. सुनीता पुत्री नन्दलाल हिस्सा 1/10 जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा 6. सुनील कुमार पुत्र नन्दलाल 1/10 जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा	164/2	1.29	बारानी-3	2.58
	किता	1	1.29	बारानी-3	2.58

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपजिला कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार लिखित विभाजन प्रस्ताव

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र. सं.	काश्तकारो के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा नं.	रकबा (हैक्टे. मी)	किस्म	लगान (रु. मी)
	1. कृष्णा पुत्री जगदीशदास हिस्सा 1/10 जाति स्वामी सा. देह 2. खामोशी पुत्री जगदीशदास हिस्सा 1/10 जाति स्वामी सा. देह 3. गोठी देवी पत्नी जंगलदास हिस्सा 1/2 जाति स्वामी सा. देह 4. धोली पुत्री जगदीशदास हिस्सा 1/10 जाति स्वामी 5. संती देवी पुत्री जगदीशदास हिस्सा 1/10 जाति स्वामी सा. देह 6. सुभाष पुत्र जगदी[illegible] हिस्सा 1/1[illegible] जाति स्वामी सा. देह	164/1	1.30	बारानी-3	2.60
	किता	1	1.30	बारानी-3	2.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र. सं.	काश्तकारो के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा नं.	रकबा (हैक्टे. में)	किश्म	लगान (रु में)
	1. कृष्णा पुत्री जगदीशदास हिस्सा 1/20 जाति स्वामी सा. देह 2. खामोशी पुत्री जगदीशदास हिस्सा 1/20 जाति स्वामी सा. देह 3. गोठी देवी पत्नी जंगलदास हिस्सा 1/4 जाति स्वामी सा. देह 4. धोली पुत्री जगदीशदास हिस्सा 1/20 जाति स्वामी 5. संती देवी पुत्री जगदीशदास हिस्सा 1/20 जाति स्वामी सा. देर्ह 6. सुभाष पुत्र जगदीशदास हिस्सा 1/20 जाति स्वामी सा. देह 7. नीतू पुत्री नन्दलाल हिस्सा 1/20 जाति जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा 8. पपीता पुत्री नन्दलाल हिस्सा 1/20 जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा 9. मनीषा पुत्री नन्दलाल हिस्सा 1/20 जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा 10. संतोष देवी पत्नी रामजीलाल हिस्सा 1/4 जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा 11. सुनीता पुत्री नन्दलाल हिस्सा 1/20 जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा 12 सुनील कुमार पुत्र नन्दलाल 1/20 जाति स्वामी सा. देह राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चीपलाटा	165	0.70	बारानी-3	1.40
	किता	1	0.70	बारानी-3	1.40

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फांटनी अलग-अलग की जावे। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 363भू.अ/24 दिनांक 15.2.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुरेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता हैं। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होरक बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested